L. A. BILL No. XXIX OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २९ सन् २०२३।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६१ का महा. २४।
सन् २०२३ का महा. ५।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२३, १० जुलाई २०२३ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एचबी १०२८ (५६–७-२०२३)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह १० जुलाई २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७३ की, उप-धारा (१क) के, खण्ड (क) में " उसके रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से तीन महीने " शब्दों के स्थान में, " उसके रजिस्ट्रीकरण या, यथास्थिति, पुनर्निर्माण के दिनांक से तीन महीने " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९६१ का महा. २४।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १०१ की, उप-धारा (१) में, " व्यक्तिगत " शब्द अपमर्जित किया जायेगा।

सन् २०२३ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२३ एतदद्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२३ का महा. अध्या. क्र. ५।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) की धारा १९, संस्था के पुनर्निर्माण का ऐसा प्रस्ताव, ऐसी संस्था की विशेष साधारण बैठक में अनुमोदित होने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर, संस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए उपबंध करती है। उक्त अधिनियम की धारा ७३ की उप-धारा (१क) का खण्ड (क) नई रजिस्ट्रिकृत संस्थाओं की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनंतिम समिति की नियुक्ति करने के लिए उपबंध करता है। तथापि, उक्त अधिनियम में, पुनर्निमित संस्थाओं की अनंतिम समिति की नियुक्ति करने के लिए ऐसे समरूप उपबंध नहीं है।

इसलिए, पुनर्निमित संस्थाओं के मामले में, अनंतिम समिति की नियुक्ति करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा ७३ की, उप-धारा (१क) के खण्ड (क) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा १०१ की, उप-धारा (१) **अन्य बातों के साथ-साथ** जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को केवल उनके व्यक्तिगत सदस्यों को, उसके द्वारा अग्रिम राशि वसूल करने के लिए सशक्त करती है। इसलिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा, उसके संस्था सदस्यों से भी कतिपय अग्रिम राशि की वसुली करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को समर्थ करने के उद्देश्य में, उक्त अधिनियम की धारा १०१ की, उप-धारा (१) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

३. चूँकि, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था, (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२३, १० जुलाई २०२३ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २०२३।

दिलीप वळसे-पाटील,
सहकारिता मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २४ जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई